न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-12RAAJodhpur2022-08RTA225 Mangalaram ors Vs Anwar Khan etc

1. मंगलाराम पुत्र चिमनाराम के कायम मुकामः -
   1.1. मुलाराम पुत्र मंगलाराम
   1.2. श्रवण पुत्र मंगलाराम
   1.3. संतोष पुत्री मंगलाराम
   1.4. प्रेमलता पुत्री मंगलाराम
   1.5. रेखा पुत्री मंगलाराम
   1.6. ढगली पत्नी मंगलाराम
2. चेनाराम पुत्र चिमनाराम
3. थानाराम पुत्र चिमनाराम
4. गोकलराम पुत्र चिमनाराम

   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम पाल नई बस्ती तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. अनवर खॉ पुत्र रमजान खॉ
2. हरूणखॉ पुत्र रमजान खॉ
3. अमीन खॉ पुत्र रमजान खॉ
4. इकबाल खॉ पुत्र रमजान खॉ
5. निसार खॉ पुत्र रमजान खॉ
6. रसीद खॉ पुत्र रमजान खॉ

   सभी जातियान् सिलावट मुसलमान, निवासीगण- ग्राम बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

प्रर्फोमा पक्षकार

7. बाबुखॉ पुत्र अहमद खॉ
8. श्रीमती जुबेदा पत्नी छोटुखॉ
9. इंसाफ खॉ पुत्र छोटुखॉ
10. रहमत खॉ पुत्र छोटुखॉ
11. सुपीया पुत्री छोटुखॉ
12. नियमतखॉ पुत्र छोटुखॉ
13. रहमत बानो पुत्री छोटुखॉ
14. समीम बानो पुत्री छोटुखॉ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

15. हमीदा बानो पुत्री छोटुखॉ
16. रतबदीन पुत्र छोटुखॉ
    सभी जातियान् सिलावट मुसलमान, निवासीगण- ग्राम बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
17. जुगलकिशोर पुत्र श्रीकिशन कौम माहेश्वरी निवासी- डी. पी.एस. चौराहा से पहले पीपली चौराहा पाल बालाजी पाल, जोधपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 30 नवंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 302/2021 अनवरखॉ व अन्य बनाम बाबुखॉ इत्यादि

उपस्थित-

श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 18

नि र्ण य

दिनांक : 30 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 302/2021 अनवरखॉ व अन्य बनाम बाबुखॉ इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरुस्ती, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 973/1 रकबा 64 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 973/2 रकबा 64

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा नं. 973/3 रकबा 63 बीघा 14 बिस्वा मौजा देवगढ तहसील बालेसर0 के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2021 को प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1 से 6 का प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्डेड खातेदार काश्तकार के विरुद्ध एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में विधिक, तथ्यात्मक वाक्याती भूल की है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक से छः वादग्रस्त आराजी का बेचान पूर्ण प्रतिफल लेकर अपीलांट्स के पक्ष में वर्ष 2000 में बेचान दस्तावेज पंजीकृत करवाया एवं बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में नामांतरकरण स्वीकृत हुए। प्रत्यर्थी स्वयं द्वारा किये गये बेचान से पाबंद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही एकपक्षीय स्थगन आदेश की अवधि आगे बढा दी। प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय में एक तरफ तो अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस नहीं कर रहे है और दुसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जानबूझकर स्थगन आदेश की अवधि आगे बढा रहे है। इस कारण अपीलांट्स के हितो के साथ कुठाराघात हो रहा है। प्रत्यर्थी संख्या एक से छः के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदं नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स के हित प्रभावित हो रहे है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 नवंबर 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स ने वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 973, 973/1, 973/2 पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक से छ, सात व आठ से सोलह के पति/पिता से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख जरिये खरीद की जाकर रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदारान् को सुने बिना उनके विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना पाया जाता है। चूंकि रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात् के संबंध में अपने खातेदारी अधिकारो का हस्तांतरण किये जाने के बाद वे वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रथमदृष्टया कोई अधिकार नहीं रखते है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियो मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धारा 212 के अंतिम निस्तारण हेतु मामला पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 नवंबर 2021 को अपास्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में निस्तारण हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.12.2022

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर